

5. प्रेस एशिया इन्टरनेशनल :

समाचार सेवा प्रभाग द्वारा दिया गया शुल्क :

1. 7. 84 से 31. 12. 84	9,000 रुपये
1. 1. 85 से 31. 12. 85	18,000 रुपये
1. 1. 86 से 31. 12. 86	18,000 रुपये

6. इण्डियन प्रेस एजेंसी

समाचार सेवा प्रभाग द्वारा दिया गया शुल्क :

1. 4. 84 से 31. 12. 84	9 000 रुपये
1. 1. 85 से 31. 12. 85	12. 000 रुपये
1. 1. 86 से 31. 3. 86	3,000 रुपये

7. यूनीवार्ता :

समाचार सेवा प्रभाग द्वारा दिया गया शुल्क :

1. 2. 86 से 3. 04. 86	2,50,000 रुपये
-----------------------	----------------

Income Tax raids in Gujarat

642. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of raids conducted by the Income Tax Department in Gujarat during the last three years on the basis of information received from the private informants;

(b) what amount was unearthed during these raids;

(c) the amount that was declared under voluntary disclosure scheme during these raids; and

(d) the amount of money given as reward to informants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) On the basis of information received from various sources, the income-tax Department in Gujarat conducted searches in the last three years as under:—

(Rs in Lakhs)

Period	No. of searches	Value of assets seized
1984-85	453	213.31
1985-86	301	208.33
1986-87	880	949.31

(c) As per the amended provisions of the Income-tax Act with effect from 1-10-86 a sum of Rs. 241.15 lakhs was declared.

(d) The reward paid during the last three years in Gujarat is as under:—

(Rs. in lacs)

Period	Amounts
1984-85	3.28
1985-86	2.66
1986-87	5.02

समाचार लेखों के लिये विदेशी मुद्रा की अदायगी

643. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह वताने की कृपा करगें कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किन्- किन् भारतीय समाचार एजेंसियों, प्रकाशकों, समाचारपत्रों तथा समाचार एवं फीचर एजेंटों के पक्ष में सरकार ने विदेशी समाचार एजेंसियों से समाचार और लेखों का प्राप्त करने हेतु कितनी विदेशी मुद्रा की अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सिफारिश की है ;

(ख) विदेशी मुद्रा की अदायगी के लिए किस आधार पर सिफारिश की जाती है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उमके अनुसार सिफारिशें की जाती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत भांजा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सदन को मंजूर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) इस प्रकार के मामलों में विदेशी मुद्रा रिलीज करने के लिए सिफारिशें आबोदकों द्वारा प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों के साथ, जो अन्य बातों के साथ साथ, उनके और उनके विदेशी सहयोगियों के बीच समझौते के अस्तित्व को सिद्ध करें, के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है। इन सभी मामलों पर कार्रवाई सुनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र

644. श्री जगदम्भी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन-किन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया गया है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों को भी केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) निम्नलिखित संगठनों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में लाया गया है :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम,

1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यासी मंडल।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

(3) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड।

(4) राष्ट्रीय श्रम संस्थान।

(5) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद।

(7) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

(ख) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में लाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य प्रशासनिक अधिकरण और कर्नाटक राज्य प्रशासनिक अधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Loan Melas

645. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the scheme of loan melas of the nationalised banks and assessed their inflationary effect on the economy of the country;

(b) whether Government have received complaints regarding corruption in the distribution of loans by the nationalised banks;

(c) if so, the measures being taken by Government to remove corruption in this regard; and